



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2016-17-

दिनांक:- 28.06.2016

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2018-19 (खरीफ 2018, रबी 2018-19 एवं जायद 2019) में विभिन्न कृषि कार्यों को करवाने के लिये कृषि मजदूर उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक पार्टियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) मात्र धरोहर राशि कर डिमांड ड्राफ्ट जो कि **नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़ के नाम से सूरतगढ़ में देय हो**, जमा करानी होगी। निविदा दिनांक 02.07.2018 को दोपहर 1.00 बजे तक रुपये 200/- जमा कर प्राप्त की जा सकती हैं, निविदा उसी दिन 3.30 बजे पार्टियों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। उपरोक्त जानकारी हमारी वेबसाइट WWW.Indiaseeds.com पर भी उपलब्ध है। प्राप्त निविदाओं में किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के पास सुरक्षित है।

निदेशक
के०रा०फा०,सरदारगढ़

केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ कृषि मजदूर उपलब्ध कराने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदादाता के पास अपने फर्म का वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड होना अनिवार्य है ।
2. निविदादाता द्वारा रूपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक ड्रॉप्ट के रूप में जो कि नेषनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड के सरदारगढ़ के पक्ष में देय होना चाहिए जो निविदा देने से पूर्व फार्म खंजाची के पास जमा करवानी होगी असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि, बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। यदि ऐजेन्सी अनुबंध के नियम व शर्तों का पालन करने में विफल रहती है या जनशक्ति की आपूर्ति की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है या कार्मिक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनशक्ति द्वारा लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने पर जमा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जायेगा जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा के रूप में रख ली जायेगी।
3. दर राजस्थान राज्य के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के समरूप होनी चाहिए। अव्यवहारिक (Imprecticable) दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निविदा से नाम वापिस लिये जाने की स्थिति में धरोहर राशि वापिस नहीं की जायेगी।
5. प्रारम्भ में अनुबन्ध का कार्यकाल एक वर्ष है जिसे आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्षों की सहमति से घटाया व बढ़ाया जा सकता है यदि कृषि मजदूर प्रदान करने वाली ऐजेन्सी की सेवाएँ असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सरदारगढ़ का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से एक महीने के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
6. सुरक्षा, जोखिम अक्षमता वैचारिक मतभेद और गोपनियता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़ द्वारा अस्वीकार्य कर्मी का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त कृषि मजदूर प्रदाता करने वाली संस्था/ठेकेदार उक्त कर्मी को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरन्त नये कर्मी उपलब्ध करवाना होगा।
7. कृषि मजदूर प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान, उपकरण या वाहन की चोरी, क्षति या डकैती के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़ की जिम्मेवारी नहीं होगी।
8. संस्था ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कृषि मजदूर की लापरवाही से यदि किसी फार्म सम्पत्ति का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी नुकसान का आंकलन करने निदेशक महोदय के द्वारा गठित कमेटी से करवाया जायेगा और इस संदर्भ में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
9. कृषि मजदूर करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मियों को कार्य स्थल पर सोंपे गये कार्य करते हुए सौहार्दपूर्ण सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए और उनके कार्य सदभावना को बढ़ावा दें और इस निगम की छति में सुधार करें। जनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुषासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ऐजेन्सी खुद जिम्मेवार होगी।
10. कृषि मजदूर प्रदान करने वाली ऐजेन्सी के कर्मी कार्यालय के विवरण संचालन प्रक्रिया तकनीकी खुलासे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट या खुलासा नहीं करेंगे।
11. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मकार मुआवजा अधिनियम और समय-2 पर लागू कानूनो, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ कृषि मजदूर प्रदान करने वाली ऐजेन्सी का होगा तथा **ईएसआई. एवं ईपीएफ का पंजीकरण प्रमाण पत्र नियमानुसार आवश्यक होगा।**
12. तैनात व्यक्ति को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सरदारगढ़ के खिलाफ कर्मचारी नियुक्त संबंध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। इस विषय में हमारे साथ नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबद्ध प्राप्त कर ले।
13. कृषि मजदूर प्रदाता संस्थान का दिया गया कार्य आदेश संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
14. कृषि मजदूर प्रदाता संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को निगम की ओर से भोजन, आवागमन संसाधन चिकित्सा आदि उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कृषि मजदूर प्रदाता संस्था की होगी।
15. ठेकेदार/संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेंगे। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है। कृषि मजदूर समय पर न उपलब्ध कराने की स्थिति में फार्म को यह अधिकार होगा कि वह कृषि मजदूर की उपलब्धता न होने पर नुकसान की भरपाई कृषि मजदूर प्रदाता संस्था से कर सकेगा।
16. कृषि मजदूर प्रदाता संस्था बिलों का भुगतान 30 दिन पर टैक्स काटकर देय होगा।
17. GST की राशि कृषि मजदूर प्रदाता संस्था द्वारा बिल में क्लेम करने पर फार्म द्वारा देय होगा।
18. कृषि मजदूर प्रदाता संस्था व निगम के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिट्रेशन हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित /मनोनीत व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सूरतगढ़ होगा।

19. कृषि मजदूर प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत्त कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों को किए गये पिछले 15 दिन के भुगतान की प्रमाणित रसीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देगा।
20. कृषि मजदूर प्रदाता संस्था द्वारा लगाए गये श्रमिकों या चालकों के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानव शक्ति प्रदाता संस्था ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगी।
उपरोक्त नियम व शर्तें मेरे द्वारा पढ़ व समझ ली गई हैं व मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक.....

क्रमांक :- सर./कृषि/20/2018-19/

दिनांक: -

निविदा प्रपत्र-II

वर्ष 2018-19 में कृषि मजदूर उपलब्ध कराने हेतु

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दरें (रूपये)
1.	वर्ष 2018-19 में खरीफ 2018, रबी 2018-19 तथा जायद 2019 में विभिन्न चकों में कृषि कार्यों को कराने हेतु कृषि मजदूर उपलब्ध कराने हेतु दर प्रति दिन	

दिनांक: -

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

जिला

मो. नं.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़
तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना दिनांक 11.06.2018 के संदर्भ में

सेवा में,

श्रीमान निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़

निविदा दिनांक 02.07.2018 के शर्तों के अनुसार निम्नांकित दस्तावेज सलंगन कर तकनीकी तुलना हेतु प्रेषित है।

अनिवार्य दस्तावेज

क्र०सं०	विवरण	सलंगनक (हां या नहीं)
1	फर्म का नाम व पते का प्रमाण	
2	पैन/टैन कार्ड की प्रतिलिपी	
3	फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी	
4	मानव शक्ति आपूर्ति हेतु लाइसेन्स की प्रतिलिपी	
5	GST रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी	
6	ई०पी०एफ० रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी	
7	ई०एस०आई० रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी	
8	न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	
9	विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपी	
10	विगत 03 वर्ष में फर्म द्वारा किया गया टर्न ओवर (न्यूनतम औसत 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की प्रतिलिपी)	
11	भुगतान हेतु बैंक खाते की प्रतिलिपी	
12	50 रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निविदादाता फर्म के काली सूची में न होने का शपथ पत्र	
13	धरोहर राशि के तौर पर रुपये 25000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सरदारगढ़ के नाम सूरतगढ़ में देय	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान.....

दिनांक.....

